फर्द अहकाम

[नियम 26]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ....नं० .....सन् .....

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोरोना महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु आज नियत समस्त प्रकरणों में इकजाही तारीख पेशी नियत की गई हैं। P.O. साहब दौरे पर पधारे हैं। इकजाही तारीख पेशी दिनांक.....को पेश हो। 27.7.21 पीठासीन	
	27/7/21 पत्रावली पेश हुई। वादी गण की ओर से श्री पुष्पेन्द्र खान एड० ने एकजाही तारीख पेश किया। अब पत्रावली में वादी गण के प्रतिवादी के साथ वादीगण के पारिवारिक विवाद कारण वाद पत्र किया गया है। वादी गण के अधिवक्ता की ओर से प्रतिवादी पक्ष को सम्मन जारी कराये जाने बाबत श्री पुष्पेन्द्र खान ने की। पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र, वादीगण द्वारा NOT Press के एफिडेविट लगाए हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी गण ने धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया है।	27/7/21 Id NOT PRESS 13 घोटेलाल शर्मा संजय कुमार

उप खण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)